

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 72/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटार्इजेशन)

बैंक ऑफ इण्डिया शाखा 66, पंसारी चैम्बर्स, जौहरी बाजार, जयपुर (राज.)

प्रार्थी बैंक

बनाम

- (1) मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी प्रो. श्री पप्पूलाल शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा (ऋणी)  
(अ) 1077, झालानियों का रास्ता, किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार के पास, जयपुर।  
(ब) 1322, गणेश चौक, बाबा हरीश चन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर (राज.)
- (2) श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा  
ग्राम- आकोदिया, ग्राम पंचायत आकोदिया, पंचायत समिति चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
- (3) श्रीमती मनभर देवी पत्नी श्री घनश्याम शर्मा  
ग्राम- आकोदिया, ग्राम पंचायत आकोदिया, पंचायत समिति चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :-

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. श्री रामपाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीसंख्या 01 की ओर से।

आदेश

दिनांक: 18.08.2020




1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.12.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी प्रो. श्री पप्पूलाल शर्मा का हाईपोथिकेटेड ऑल स्टॉक ऑफ गारमेन्ट्स बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर जैसे टी-शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, कुर्तीयां, शर्ट्स, स्मॉल शर्ट्स, स्मॉल जीन्स, सूटिंग थान, शर्टिंग थान इत्यादि, आउटस्टैन्डिंग, रिसीवेबल, लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, ऑल मूवेबल्स, सिक्वोरिटार्इज, ऑल मूवेबल्स, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि को दृष्टिबन्धक कर रु. 15,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास दृष्टिबन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे संबंधित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्यायहित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रामपाल शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर ऋण राशि जमा कराने के लिए समय चाहा।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुये बकाया राशि जमा कराने के लिए अवसर दिये जाने का निवेदन किया है, परन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए ऋणी को अवसर दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 15,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड की गई है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 15,27,527/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.09.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में मैसर्स श्री श्याम एजेन्सी प्रो. श्री पप्पूलाल शर्मा का हाईपोथिकेटेड ऑल स्टॉक ऑफ गारमेन्ट्स बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर जैसे टी-शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, कुर्तीयां, शर्ट्स, स्मॉल शर्ट्स, स्मॉल जीन्स, सूटिंग थान, शर्टिंग थान इत्यादि, आउटस्टैंडिंग, रिसेवेबल, लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, ऑल मूवेबल्स, सिक्योरिटीज, ऑल मूवेबल्स, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त (उत्तर) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्र कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक 18.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
 (अन्तर सिंह नेहरा)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर